



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489]
No. 489]नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 7, 2007/कार्तिक 16, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 7, 2007/KARTIKA 16, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय सरकार चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 (1982 का 4) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी विकास निधि नियम, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. चीनी विकास निधि नियम, 1983 में, नियम 20 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“20क. चीनी के निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन और मालभाड़ा प्रभारों पर व्यय का चुकाना—(1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों के प्रयोजनों के लिए व्यय को चुकाने का विनिश्चय कर सकेगी जिसके अंतर्गत घरेलू रूप से विनिर्मित चीनी के निर्यातों पर समुद्री मालभाड़ा, हैंडलिंग और विपणन प्रभार भी हैं ।

(2) कोई चीनी कारखाना, जिसने केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित समय अवधि के भीतर स्वयं या किसी निर्यातक के माध्यम से या किसी तीसरे पक्ष निर्यातक के माध्यम से अपनी विनिर्मित चीनी का खुले साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन, किन्तु 'अग्रिम अनुज्ञप्ति' के अधीन नहीं, निर्यात किया है, केन्द्रीय सरकार से निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रकम का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा :—

- (क) भारत में तटीय राज्यों में स्थित चीनी कारखानों द्वारा विनिर्मित चीनी के लिए निर्यात की गई चीनी के लिए 1350 रुपये प्रति टन का भुगतान किया जाएगा; और
- (ख) भारत में तटीय राज्यों से भिन्न राज्यों में स्थित चीनी कारखानों द्वारा विनिर्मित चीनी के लिए निर्यात की गई चीनी के लिए 1450 रुपये प्रति टन की दर पर भुगतान किया जाएगा :

परंतु पड़ोसी देशों को केवल सड़क मार्ग या रेल मार्ग या दोनों मार्गों द्वारा, जिसमें अंतर्वलित समुद्री या महासागर मार्ग द्वारा संचलन नहीं है, किए गए निर्यात के लिए इसके साथ संलग्न उपाबंध के अनुसार परिकल्पित उप-नियम (1) में उल्लिखित प्रभारों अथवा उप-नियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) में उल्लिखित प्रभारों पर हुए वास्तविक व्यय, इनमें से जो कम है; का भुगतान किया जाएगा।

परंतु यह और कि किसी चीनी कारखाने या किसी चीनी परिष्करणी या किसी निर्यातक के माध्यम से किसी घरेलू चीनी विनिर्माता से आदान के रूप में प्राप्त कच्ची चीनी में मूल्य संवर्द्धन के द्वारा किसी परिष्कृत चीनी का खुले साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात किया जाता है तो इसे घरेलू रूप से विनिर्मित चीनी का निर्यात समझा जाएगा, और वह चीनी कारखाना, जिसने मूल रूप में कच्ची चीनी का विनिर्माण किया था, निर्यात की गई इस चीनी की मात्रा के संबंध में इस नियम में निर्दिष्ट भुगतान प्राप्त करने का पात्र होगा।

परंतु यह भी कि कच्ची चीनी का विनिर्माता और चीनी परिष्करणी एक करार करेंगे, जिसकी एक प्रति दावे के साथ भी प्रस्तुत की जाएगी, जोकि प्ररूप IX में विनिर्दिष्ट अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के अलावा भी, जिसमें आपूर्ति की जाने वाली कच्ची चीनी की मात्रा और परिष्कृत चीनी की मात्रा जो निर्यात के लिए इससे उत्पादित की जाएगी, स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(3) (क) दावा निर्यात के संबंध में बैंक द्वारा अंतिम बैंक प्रमाण-पत्र जारी किए जाने और विचाराधीन मास के दौरान किए गए निर्यात के लिए की गई वसूली की तारीख से नब्बे दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) निर्यात और वसूली के संबंध में अंतिम बैंक प्रमाण-पत्र के जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों के पश्चात् विलम्ब से लेकिन अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत करने की अनुमति होगी, परंतु अनुज्ञेय राशि की 10 प्रतिशत कटौती की जाएगी।

(ग) विचाराधीन विशिष्ट मास के दौरान किए गए निर्यातों के संबंध में निर्यात और वसूली के अंतिम बैंक प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के पश्चात् कोई भी दावा अनुज्ञेय नहीं होगा।

परंतु इस अधिसूचना के जारी होने से पहले किए गए निर्यातों के लिए दावों के भुगतान के लिए एक सौ अस्सी दिनों की समय सीमा इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से या दावे के मास के लिए निर्यात और वसूली के अंतिम बैंक प्रमाण-पत्र की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, होगी।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात सहायता की घोषणा जिस चीनी मौसम के लिए की गई है, और बाद के चीनी मौसम के लिए अनुज्ञेय राशि चीनी कारखाना को गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिमानी क्रम में होगी, अर्थात्:-

(क) केन्द्रीय सरकार, यदि दावे को प्रस्तुत करने की तारीख को अथवा वित्तीय स्वीकृति के समय केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध गन्ना मूल्य के बकायों की स्थिति के अनुसार उक्त चीनी मौसम के किसी भी मौसम के लिए चीनी कारखाने के प्रति गन्ना मूल्य बकाया है, इनमें से जो भी कम हो, और चीनी विकास निधि या लेवी चीनी कीमत समकरण निधि अतिशोध्य है तो चीनी विकास निधि या लेवी चीनी कीमत समकरण निधि अतिशोध्य के बावजूद चीनी कारखाने को उक्त चीनी मौसम के लिए गन्ना मूल्य बकायों की सीमा तक उपर्युक्त भुगतान किया जाएगा और यदि उस समय देय राशि गन्ना मूल्य बकायों से अधिक है तो गन्ना मूल्य बकायों से अधिक देय राशि का समायोजन चीनी विकास निधि अतिशोध्य के साथ और शेष राशि का लेवी चीनी कीमत समकरण निधि अतिशोध्यों के साथ समायोजन किया जाएगा।

(ख) यदि केन्द्रीय सरकार, दावे को प्रस्तुत करने की तारीख को अथवा वित्तीय स्वीकृति के समय उपलब्ध गन्ना मूल्य बकायों की स्थिति के अनुसार उक्त चीनी मौसम के किसी भी मौसम के लिए चीनी कारखाने के प्रति गन्ना मूल्य बकाया नहीं है, इनमें से जो भी कम हो, लेकिन इसके प्रति चीनी विकास निधि या लेवी चीनी समान कीमत निधि अतिशोध्य हो तो चीनी कारखाने को उपर्युक्त देय राशि का चीनी विकास निधि अतिशोध्य के प्रति और शेष राशि का लेवी चीनी समान कीमत निधि अतिशोध्य के प्रति समायोजन किया जाएगा।

(5) (क) जिस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात सहायता की घोषणा की गई है, उस मौसम के लिए तथा बाद के चीनी मौसम के लिए चीनी कारखाने द्वारा प्राप्त राशि का उपयोग गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(ख) भुगतान की प्राप्ति के एक मास के भीतर गन्ना मूल्य बकायों का भुगतान किया जाएगा।

(ग) यदि चीनी कारखाने पर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत दावे की तारीख की स्थिति के अनुसार या वित्तीय सहमति के समय केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार उक्त किसी चीनी मौसम के लिए गन्ना मूल्य बकाया नहीं है या चीनी कारखाने द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि उक्त चीनी मौसम संबंधी गन्ना मूल्य बकायों से अधिक है, इनमें से जो भी कम हो, तो गन्ना मूल्य बकायों से अधिक राशि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है।

(6) (क) चीनी कारखाना पूर्ण रूप से पृथक बैंक खाता खोलेगा और दावा प्रस्तुत करने के समय उसका ब्यौरा देगा और प्राधिकारी कारखाने को ऐसा भुगतान ऐसी रीति से करेंगे कि वह इसी खाते में जमा हो।

(ख) कारखाने द्वारा पूर्ण रूप से उस अलग खाते का उपयोग जिस चीनी मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्यात सहायता की घोषणा की गई तथा इसके बाद के चीनी मौसम के गन्ना मूल्य बकायों के भुगतान के लिए किया जाएगा।

(7) चीनी कारखाना, उप-नियम (2) में उल्लिखित भुगतान के चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की तारीख से तीन महीनों की अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट प्ररूप (उपाबंध-3) में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली को इस प्रभाव का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण हैं, तो उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि अधिकतम अन्य तीन महीने तक बढ़ा सकती है।

(8) यदि कोई चीनी कारखाना, जिसने चीनी के निर्यात के लिए उप-नियम (2) में निर्दिष्ट भुगतान प्राप्त किया हो, इन नियमों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा इस प्रकार प्राप्त राशि का उपयोग उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट समय के भीतर गन्ना मूल्य बकायों, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए नहीं किया जाता है, और कारखाने के पास इसके लिए कोई विधिमान्य कारण नहीं है तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली उस चीनी कारखाना को ऐसे भुगतान के लिए अपात्र घोषित कर सकेगा और कारखाने को भुगतान की गई राशि संबंधित चीनी कारखाने से आर्थिक कार्य विभाग द्वारा यथाअधिसूचित ब्याज की दर, जो दावे के भुगतान की तारीख को प्राइवेट पार्टियों पर लागू हो, और 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष के शास्तिक ब्याज के साथ या तो उस चीनी कारखाने को देय लेवी चीनी के अंतर-मूल्य से अथवा किसी अन्य दावे से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा उस चीनी कारखाने को देय सहायिकी से कानून के अनुसार वसूल की जा सकेगी।

(9) चीनी मिल उप-नियम (2) में निर्दिष्ट भुगतान के अपने दावे प्ररूप IX में सम्यक रूप से भरकर उसमें विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली को प्रत्येक कैलेंडर मास के निर्यात के लिए पृथक-पृथक प्रस्तुत करेगा।

(10) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, चीनी के निर्यात के लिए भारत सरकार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अपने आदेश संख्या 1-2/2007-एसपीएफ, दिनांक 27 जुलाई, 2007 द्वारा घोषित निर्यात प्रोत्साहन और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोई आदेश लागू होंगे।

(11) जब केन्द्रीय सरकार का यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए इस नियम के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।”

[फा. सं. 1-5/2007-एसडीएफ]

एन. सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 उप-खंड (i) में सा0का0नि0 संख्या 752 (अ), तारीख 28 सितम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्ती संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए:-

- (i) सा0का0नि0 संख्या 817 (अ) तारीख 20 दिसम्बर, 1984;
- (ii) सा0का0नि0 संख्या 838 (अ) तारीख 14 नवम्बर, 1985;
- (iii) सा0का0नि0 संख्या 551 (अ) तारीख 6 मई, 1986;
- (iv) सा0का0नि0 संख्या 235 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 1991;
- (v) सा0का0नि0 संख्या 441 (अ) तारीख 28 अप्रैल, 1992;
- (vi) सा0का0नि0 संख्या 435 (अ) तारीख 6 मई, 1994;
- (vii) सा0का0नि0 संख्या 27 (अ) तारीख 12 जनवरी, 1996;
- (viii) सा0का0नि0 संख्या 656 (अ) तारीख 21 नवम्बर, 1997;
- (ix) सा0का0नि0 संख्या 91 (अ) तारीख 12 फरवरी, 2001;
- (x) सा0का0नि0 संख्या 886 (अ) तारीख 6 दिसम्बर, 2001;
- (xi) सा0का0नि0 संख्या 443 (अ) तारीख 21 जून, 2002;
- (xii) सा0का0नि0 संख्या 584 (अ) तारीख 19 अगस्त, 2002;
- (xiii) सा0का0नि0 संख्या 67 (अ) तारीख 29 जनवरी, 2003;
- (xiv) सा0का0नि0 संख्या 241 (अ) तारीख 25 मार्च, 2003;
- (xv) सा0का0नि0 संख्या 787 (अ) तारीख 6 अक्टूबर, 2003;
- (xvi) सा0का0नि0 संख्या 895 (अ) तारीख 19 नवम्बर, 2003;
- (xvii) सा0का0नि0 संख्या 953 (अ) तारीख 17 दिसम्बर, 2003;
- (xviii) सा0का0नि0 संख्या 72 (अ) तारीख 23 जनवरी, 2004;
- (xix) सा0का0नि0 संख्या 687 (अ) तारीख 21 अक्टूबर, 2004;
- (xx) सा0का0नि0 संख्या 739 (अ) तारीख 9 नवम्बर, 2004;
- (xxi) सा0का0नि0 संख्या 149 (अ) तारीख 2 मार्च, 2005;
- (xxii) सा0का0नि0 संख्या 451 (अ) तारीख 4 जुलाई, 2005;
- (xxiii) सा0का0नि0 संख्या 558 (अ) तारीख 15 सितम्बर, 2006;
- (xxiv) सा0का0नि0 संख्या 653 (अ) तारीख 19 अक्टूबर, 2006;
- (xxv) सा0का0नि0 संख्या 188 (अ) तारीख 9 मार्च, 2007;

[परिशिष्ट]

[नियम 20क(2) का पहला परन्तुक देखें]

पड़ोसी देशों को चीनी के निर्यात, जिसमें समुद्री अथवा महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित नहीं है, के लिए आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा प्रभारों, जिसके अंतर्गत हैंडलिंग और विपणन प्रभार भी हैं, पर हुए खर्च को चुकाने के लिए दरें

पड़ोसी देशों को चीनी के निर्यात, जिसमें समुद्री अथवा महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित नहीं है, के लिए आंतरिक परिवहन, मालभाड़ा प्रभारों, जिसके अंतर्गत हैंडलिंग और विपणन प्रभार भी हैं, पर हुए खर्च को चुकाना निम्नलिखित नीति से गणना की जाएगी, अर्थात्:-

1. आंतरिक परिवहन और मालभाड़े पर खर्च की अदायगी निम्नानुसार निर्बंधित होगी:-

(i) चीनी कारखाने से नजदीकी लदान रेल-शीर्ष तक की दूरी के लिए, संबंधित चीनी मौसम के चीनी (उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश में यथाविनिर्दिष्ट परिवहन दर;

(ii) चीनी कारखाने के नजदीकी रेल-शीर्ष से अंतर्राष्ट्रीय पर सीमा स्थित सीमा शुल्क कार्यालय के नजदीकी रेल-शीर्ष तक की दूरी के लिए, सबसे छोटे मार्ग द्वारा रेल मालभाड़ा;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा शुल्क कार्यालय के नजदीक रेल-शीर्ष से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा शुल्क कार्यालय तक की दूरी के लिए, संबंधित चीनी मौसम के चीनी (उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश में यथाविनिर्दिष्ट परिवहन दर;

(iv) यदि किसी चीनी कारखाने ने चीनी के निर्यात परेषणों की परिवहन रेल की बजाय सड़क मार्ग द्वारा करने को अधिमानता दी है तो आंतरिक परिवहन तथा भाड़ा प्रभारों पर हुए खर्च की अदायगी मद (i) से (iii) में यथानिर्दिष्ट परिवहन प्रभारों तथा रेल मालभाड़ा प्रभारों के कुल तक या चीनी कारखाने द्वारा सड़क मार्ग द्वारा दिए गए वास्तविक परिवहन प्रभारों तक, इनमें से जो भी कम हो, निर्बंधित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- जहां तक किसी संबंधित चीनी मौसम के चीनी (उत्पादन का मूल्य निर्धारण) आदेश में निर्बंधन अधिरोपित करने का संबंध है, परिवहन प्रभार इस पैरा के प्रयोजन के लिए लागू नहीं होंगे और चीनी कारखाने को चीनी कारखाने और नजदीकी रेल-शीर्ष के बीच पूरी दूरी के लिए भुगतान प्राप्त होगा।

2. निर्यात करने के लिए अपेक्षित लदाई अथवा उतराई के प्रत्येक परिचालन के लिए हैंडलिंग और विपणन प्रभार 12.50 रुपये प्रति टन तक निर्बंधित होंगे।

टिप्पण: यदि दावा करने वाला कारखाना यथास्थिति तटीय राज्य या गैर-तटीय राज्य, में स्थित है तो निर्यात की गई चीनी के लिए धनराशि 1350 रुपये या 1450 रुपये प्रति टन तक सीमित होगी।

प्ररूप IX
[नियम 20क (9) देखें]

चीनी के निर्यात शिपमेंट पर आंतरिक परिवहन और मालभाड़ा प्रभारों, जिसके अंतर्गत समुद्री मालभाड़ा भी है तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभारों पर हुए व्यय को चुकाने के लिए आवेदन पत्र।

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

1. निर्माता का विवरण:-

(क) नाम :-

संयंत्र का संक्षिप्त नाम:

(ख) संयंत्र की कोड संख्या :-

(ग) पूरा पता :-

(घ) दूरभाष संख्या, फ़ैक्स संख्या और ई-मेल :-

2. निर्यातक का नाम और पता :-

3. मास जिसके लिए दावा किया गया है :-

4. चीनी के निर्यात लदाई का ब्यौरा :-

(क) निर्यातक की गई मात्रा (टन में) :-

(ख) क्या निर्यात अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन है :-

(ग) किस देश को निर्यात किया गया :-

5. मास के दौरान निर्यात के लिए निर्यात और वसूली के संबंध में बैंक द्वारा आखिरी प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख:-

6. दावे की राशि (रुपये में):-

7. गन्ना मूल्य बकाया (जिस चीनी मौसम के लिए निर्यात सहायता की घोषणा की गई है, और उसके बाद के चीनी मौसम के लिए) :-

8. दावे की किस्म (लागू किस्म पर चिह्न लगाएं)

(क) किस्म I : निर्यात की गई घरेलू रूप से विनिर्मित चीनी जिसमें समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित है।

(ख) किस्म II : निर्यात की गई घरेलू रूप से विनिर्मित चीनी जिसमें समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित नहीं है।

(ग) किस्म III : परिष्कृत चीनी, जो अन्य कारखाने की कच्ची चीनी से विनिर्मित की गई है और जिसमें समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित है।

(घ) किस्म IV : परिष्कृत चीनी, जो अन्य कारखाने की कच्ची चीनी से विनिर्मित की गई है और जिसमें समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित नहीं है।

9. संलग्न किए गए दस्तावेजों के ब्यौरें:-

(i) उपरोक्त (3) में उल्लिखित मास में किए गए निर्यात से संबंधित उत्पाद-शुल्क्य माल हटाए जाने के लिए सभी आवेदनों की

हां/नहीं

- प्रमाणित प्रतियां [प्ररूप एआरई-1 या एआरई-2 और एआरई-3 (अन्य कारखाने से अधिप्राप्त कच्ची चीनी से परिष्करणी द्वारा बनाई गई परिष्कृत चीनी के निर्यात के मामले में)]
- (ii) अन्य कारखाने से उपाप्त कच्ची चीनी से चीनी रिफाइनरी द्वारा बनाई गई परिष्कृत चीनी के निर्यात के मामले में, कच्ची चीनी के निर्माता और चीनी रिफाइनरी के बीच हुए करार की प्रति। हां/नहीं/लागू नहीं
- (iii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी निर्यात का 'निर्यात का सबूत' संबंधी प्रमाण-पत्र, जिसमें निर्यात की गई वास्तविक मात्रा का उल्लेख किया गया है। हां/नहीं
- (iv) उपरोक्त (3) में उल्लिखित मास के लिए निर्यात और वसूली से संबंधित बैंक के सभी प्रमाण-पत्रों की प्रतियां, जो जारी करने वाले बैंक द्वारा मूल रूप में विधिवत् रूप से प्रमाणित हों और जिनमें निर्यात और वसूली से संबंधित बैंक द्वारा प्रमाण-पत्रों के जारी होने की तारीख स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो। हां/नहीं
- (v) उपाबंध-1 पर दिए गए निर्धारित प्रपत्र में रसीद सहित बिल। हां/नहीं
- (vi) एआरई-वार प्रेषित/निर्यात की गई मात्रा का समाधान संबंधी विवरण, निर्यात की तारीख और माह के दौरान किए गए निर्यातों के लिए निर्यात और वसूली से संबंधित बैंक के प्रमाण-पत्र का ब्यौरा, जैसाकि उपाबंध-2 पर दिए गए प्रपत्र में है। हां/नहीं
- (vii) उपाबंध-3 में दिए गए प्रपत्र में उन उपयोग प्रमाण-पत्रों, जो देय हो गए हैं, की प्रतियां। हां/नहीं
- (viii) 50 रुपये के न्यायिकेतर स्टाम्प कागज पर इस आशय का शपथ-पत्र (जैसाकि अनुबंध-4 पर दिए गए प्रपत्र में है) कि यह निर्यात अग्रिम अनुज्ञप्ति के अधीन नहीं हैं। हां/नहीं/लागू नहीं
- (ix) अनुबंध-5 में दिए गए प्रपत्र में पड़ोसी देशों को चीनी के निर्यात, जिनमें समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा संचलन अंतर्वलित नहीं है, के मामले में, दूरी और मालभाड़े का ब्यौरा। हां/नहीं/लागू नहीं
- (x) उन मामलों में, जहां निर्यात समुद्र या महासागर मार्ग द्वारा नहीं किया गया है, के लिए समाहर्ता अथवा उपायुक्त के कार्यालय और रेल माल क्लर्क के कार्यालय द्वारा जारी क्रमशः सड़क या रेल मार्ग के लिए दूरी के संबंध में प्रमाण-पत्र। हां/नहीं/लागू नहीं

स्थान:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम)

तारीख:

(कृपया नाम दर्शाएं और मुहर लगाएं)

उपाबंध-1

चीनी के निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रभारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभारों की अदायगी करने के लिए पूर्व-रसीद बिल

(दो प्रतियों में प्रस्तुत करें)

कारखाने का नाम और पता:

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से रुपये (केवल
..... रुपये) प्राप्त किए।

घोषणा:

1. मैं प्रतिज्ञान पूर्वक पुष्टि और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और कोई सुसंगत जानकारी उसमें छिपाई नहीं गई है।
2. मैं यह घोषणा करता हूँ कि मास के दौरान चीनी के निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रभारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभारों की अदायगी के दावे के प्रति उपर्युक्त दावा पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए है।
3. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस दावे को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मास के दौरान चीनी के निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रभारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रभार चीनी कारखाने ने केन्द्रीय सरकार से प्राप्त नहीं किए हैं।
4. मैं, केन्द्रीय सरकार को दावे की प्राप्त ऐसी रकम जो मेरे द्वारा प्राप्त की गई है, का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का वचन देता हूँ, जो अपेक्षित हो, यदि उपर्युक्त दावे में दी गई सूचनाओं का किसी भी समय असत्य होना पाया जाता है।
5. मैं, केन्द्रीय सरकार को दावे की प्राप्त ऐसी रकम जो मेरे द्वारा प्राप्त की गई है, को ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने का वचन देता हूँ, जो अपेक्षित हो, यदि गन्ने के देय मूल्य का भुगतान करने के लिए जो धनराशि प्राप्त की गई थी, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है अथवा इन नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया गया है।
6. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं उपर्युक्त चीनी कारखाने के स्वामी या कंपनी या अधिभोगी या स्वामी के निमित्त पूर्वगामी घोषणा और इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।

स्थान:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

तारीख:

(कृपया नाम उपदर्शित करें, रसीदी टिकट सहित मोहर लगाएं)

उपाबंध-3

चीनी के निर्यात लदाई पर आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रमारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रमारों की अदायगी के प्रति अदा की गई धनराशि का चीनी मौसम के गन्ने के मूल्य की देय राशि का भुगतान करने के प्रति उपयोग किए जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि चीनी कारखाने ने आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रमारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रमारों की अदायगी के प्रति रुपये की धनराशि प्राप्त की है और केन्द्रीय सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त करने की तारीख से एक मास के भीतर इस धनराशि का उपयोग गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए कर लिया गया है।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि चीनी कारखाने ने आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च और समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रमारों तथा हैंडलिंग और विपणन प्रमारों की अदायगी के प्रति रुपये की धनराशि प्राप्त की है और केन्द्रीय सरकार से उक्त धनराशि प्राप्त करने की तारीख से एक मास के भीतर इसमें से रुपये की धनराशि का उपयोग गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए कर लिया गया है और रुपये की शेष धनराशि, जो चीनी मिल की ओर गन्ना मूल्य बकाया से अधिक थी, का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया है।

अथवा

प्रमाणित किया जाता है कि चीनी कारखाने की ओर आंतरिक परिवहन पर हुए खर्च, समुद्री मालभाड़े सहित मालभाड़ा प्रमारों और हैंडलिंग तथा विपणन प्रमारों के प्रति रुपये की प्राप्ति की तारीख को कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं था।

चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
और पदनाम (कृपया मुहर लगाएं)

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

(कृपया मुहर लगाएं)

तारीख:

स्थान:

(जिला गन्ना अधिकारी या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी, जो चीनी प्रतिष्ठान द्वारा गन्ने के मूल्य के भुगतान को करवाने और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे)

उपाबंध-4

शपथ-पत्र

मैं, मैसर्स का अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा और प्रमाणित करता हूं कि उत्पाद-शुल्क्य माल के हटाने के लिए किए गए निम्नलिखित आवेदन (प्ररूप ए.आर.आई.) से संबंधित मास के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा 'अग्रिम लाइसेंस स्कीम' के अधीन निर्यात नहीं की गई है।

ए.आर.आई. की संख्या और तारीख

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

स्थान:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पदनाम)

तारीख:

(कृपया नाम लिखें और मोहर लगाएं)

नोटरी

उपाबंध-5

यदि पड़ोसी राज्यों को चीनी के निर्यात, जिनमें समुद्री/महासागर मार्ग द्वारा संचलन शामिल नहीं है, रेल और/अथवा सड़क मार्ग द्वारा किए गए हैं, तो दूरी और मालेभाड़े का ब्यौरा (लागू नहीं यदि संचलन समुद्र/महासागर मार्ग द्वारा किया गया हो):-

क्रम संख्या	निर्यात की गई मात्रा (टन में)	जिस देश को निर्यात किया गया	से	तक	तरीका (समुद्री मार्ग या सड़क मार्ग द्वारा)	दूरी	दर	अनुमेय राशि	अभ्युक्ति
1.									
2.									
3.									
जोड़									

स्थान:
तारीख:

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पदनाम)
(कृपया नाम दर्शाएं और मुहर तथा रसीदी टिकट लगाएं)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2007

G.S.R. 697(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Sugar Development Fund Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Sugar Development Fund (Second Amendment) Rules, 2007.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Sugar Development Fund Rules, 1983, after rule 20, the following rule shall be inserted, namely. -

" 20 A. Defraying Expenditure on Internal Transport and Freight Charges on Export Shipment of Sugar .- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, the Central Government may, from time to time, decide to defray expenditure for the purposes of internal transport and freight charges which would include ocean freight, handling and marketing charges on exports of domestically manufactured sugar.

(2) Any sugar factory, which has exported its manufactured sugar under Open General Licence but not under 'advance licence' either itself or through an exporter or through any third party exporter within the time period announced by the Central Government, shall be eligible for payment from the Central Government, the amounts as specified hereunder -

- (a) for the sugar manufactured by the sugar mills located in the coastal states in India, the payment shall be rupees 1350 per tonne of sugar exported; and
- (b) for the sugar manufactured by the sugar mills located in other than the coastal States of India, the payment shall be at a rate of rupees 1450 per tonne of sugar exported:

Provided that the payment for the exports made to neighbouring countries solely by road or rail or by both, not involving movement by sea or ocean, shall be the actual expenditure incurred on the charges referred to in sub - rule (1) calculated as per Appendix annexed hereto or shall be as referred to in clause (a) or clause (b) of sub-rule (2) whichever is less:

Provided further that any refined sugar exported under Open General Licence by a sugar factory or a sugar refinery or through an exporter by way of value addition to raw sugar obtained as input from a domestic sugar manufacturer, shall be considered to be export of domestically manufactured sugar, and the sugar factory which had originally manufactured the raw sugar shall be eligible to receive the payment referred to in this rule in respect of the quantity of sugar so exported.

Provided also that the raw sugar manufacturer and the sugar refinery shall enter into an agreement, a copy of which shall also be submitted with the claim, which should be in addition to other requisite documents specified in Form IX, clearly indicating the quantity of raw sugar to be supplied and the quantity of refined sugar which shall be produced from the same for exports.

- (3) (a) The claim should be submitted within ninety days from the date of issue of last bank certificate of export and realization by the bank for the exports made during the month under consideration.
- (b) Delayed submissions beyond ninety days but upto a maximum of one hundred eighty days from the date of issue of last bank certificate of export and realization would be allowed, subject to a deduction of 10 per cent of the admissible amount.
- (c) No claim shall be admissible after one hundred eighty days from the date of issue of last bank certificate of export and realization with respect to exports made during the particular month under consideration.

Provided that for the payment of claims for exports which have taken place before issue of this notification, the time limit of one hundred eighty days shall be from the date of issue of this notification or the date of last bank certificate of export and realization for the month of claim, whichever is later.

(4) The admissible amount shall be payable to the sugar factory for the purpose of making payment for the cane price arrears for the sugar season for which export assistance has been announced by the Central Government and of the subsequent sugar season in the following order of preferences, namely :-

- (a) If the sugar factory has cane price arrears for any of the said sugar seasons as per the cane price arrears position available with the Central Government on date of submission of the claim or the latest information available with the Central Government at the time of finance concurrence, whichever is less, as also Sugar Development Fund or Levy Sugar Price Equalization Fund overdues, then the above payment shall be made to the sugar factory to the extent of cane price arrears for the said sugar seasons notwithstanding the Sugar Development Fund or Levy Sugar Price Equalization Fund overdues and if the amount payable is higher than the cane price arrears at that point of time then the payable amount in excess of cane price arrears shall be adjusted against the Sugar Development Fund overdues and the balance against Levy Sugar Price Equalization Fund overdues.
- (b) If the sugar factory has no cane price arrears for the said sugar seasons as per the cane price arrears position available with the Central Government on the date of submission of the claim or the latest information available with the Central Government at the time of finance concurrence, whichever is less, but it has Sugar Development Fund or Levy Sugar Price Equalization Fund overdues, then the above amount payable to sugar factory shall be adjusted against Sugar Development Fund overdues and the balance against Levy Sugar Price Equalization Fund overdues .
- (5) (a) The amount received by the sugar factory shall be utilized for making payment of cane price arrears for the sugar season for which export assistance has been announced by the Central Government and of the subsequent sugar season.
- (b) The payment towards cane dues shall be made within one month of receipt of the payment.
- (c) If the sugar factory does not have cane price arrears of any of the said sugar seasons or the amount so received by the sugar factory is in excess of the cane

price arrears pertaining to the said sugar seasons, as on the date of submission of the claim to the Central Government or the latest information available with the Central Government at the time of finance concurrence, whichever is less, then the amount in excess of the cane price arrears may be used for any other purpose.

- (6) (a) The sugar factory shall open a separate exclusive bank account and furnish details of the same at the time of submission of the claim and the authority making such payments to the factory shall do so in such a manner that the same is deposited into this account.
- (b) The separate exclusive account shall be utilised by the factory to make payments of cane price dues of the sugar season for which export assistance has been announced by the Central Government and the subsequent sugar season.
- (7) The sugar factory shall submit a utilization certificate in the specified proforma (Annexure - 3) to the Department of Food and Public Distribution, New Delhi, to this effect within a period of three months from the date of cheque or demand draft or electronic payment of the payment referred to in sub- rule (2).

Provided that the Central Government may extend the period of submission of the utilization certificate by a maximum period of another three months if it is satisfied that there is a sufficient cause for the delay in submission of the utilization certificate.

- (8) If any sugar factory, which has received the payments referred to in sub- rule (2) for exports of sugar, fails to adhere to the provisions of these rules or in case the payment so received is not utilised for payment of cane price dues, if outstanding, within the specified time referred to in sub-rule (7), and the factory does not have any valid reason for the same, the Department of Food and Public Distribution, New Delhi may declare the sugar factory ineligible for such payments and the amount so paid to the factory may be recovered from the concerned sugar factory alongwith interest at the rate as notified by the Department of Economic Affairs as applicable to private parties, on the date of payment of the claim, plus penal interest of 2.5 per cent per annum either from the differential levy sugar price payable to the sugar factory or any other claim or subsidy payable to the sugar factory by the Central Government in accordance with law.

(9) The sugar mill shall submit its claim for payment referred to in sub-rule (2) separately for each calender month of export in Form IX duly filled in, alongwith the documents specified therein, to the Department of Food and Public Distribution, New Delhi.

(10) For the purposes of this rule, the export incentives for exports of sugar announced by the Government of India, Department of Food and Public Distribution vide its order No. 1- 2/2007-SPF dated the 27th July, 2007 and any order the Central Government may make from time to time shall apply.

(11) Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of this rule."

[F.No. 1-5/2007-SDF]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note :- The Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(i) vide number G.S.R. 752(E) dated the 28th September, 1983 and were subsequently amended by the following notifications:-

- (i) GSR 817 (E) dated the 20th December, 1984;
- (ii) GSR 838 (E) dated the 14th November, 1985;
- (iii) GSR 551 (E) dated the 6th May, 1986;
- (iv) GSR 235 (E) dated the 24th April, 1991;
- (v) GSR 441 (E) dated the 28th April, 1992;
- (vi) GSR 435 (E) dated the 6th May, 1994;
- (vii) GSR 27 (E) dated the 12th January, 1996;
- (viii) GSR 656 (E) dated the 21st November, 1997;
- (ix) GSR 91 (E) dated the 12th February, 2001;
- (x) GSR 886 (E) dated the 6th December, 2001;
- (xi) GSR 443 (E) dated the 21st June, 2002;
- (xii) GSR 584 (E) dated the 19th August, 2002;
- (xiii) GSR 67 (E) Dated the 29th January, 2003;
- (xiv) GSR 241 (E) dated the 25th March, 2003;
- (xv) GSR 787 (E) dated the 6th October, 2003;
- (xvi) GSR 895 (E) dated the 19th November, 2003;
- (xvii) GSR 953 (E) dated the 17th December, 2003;
- (xviii) GSR 72 (E) dated the 23rd January, 2004;
- (xix) GSR 687(E) dated the 21st October, 2004;
- (xx) GSR 739(E) dated the 9th November, 2004;
- (xxi) GSR 149(E) dated the 2nd March, 2005;
- (xxii) GSR 451(E) dated the 4th July, 2005;
- (xxiii) GSR 558 (E) dated the 15th September, 2006;
- (xxiv) GSR 653(E) dated the 19th October, 2006
- (xxv) GSR 188(E) dated the 9th March, 2007;

Appendix**[See rule 20A (2) First Proviso]**

Rates for defraying expenditure on internal transport and freight charges including handling and marketing charges for exports of sugar to neighbouring countries, not involving movement by sea or ocean

The payment of expenditure on internal transport and freight charges including handling and marketing charges for exports of sugar to neighbouring countries not involving movement by sea or ocean, shall be calculated in the following manner, namely:-

1. The payment of expenditure on internal transport and freight shall be restricted as under:-
 - (i) for the distance from sugar factory to the nearest loading railhead the transportation rate as specified in the Sugar (Price Determination for Production) Order of the relevant sugar season;
 - (ii) for the distance from loading railhead nearest to the sugar factory to the railhead nearest to the custom office at the international border, the railway freight by the shortest route;
 - (iii) for the distance from railhead nearest to the custom office at the international border, to the custom office at the international border, the transportation rate as specified in the Sugar (Price Determination for Production) Order of the relevant sugar season;
 - (iv) where a sugar factory has preferred to transport export consignments of sugar by road instead of railway the claim for payment of expenditure on internal transport and freight charges shall be restricted to the total of transportation charges and railway freight charges as specified in items (i) to (iii) or the actual transportation charges by road incurred by the sugar factory whichever is less.

Explanation.- The restriction imposed in the Sugar (Price Determination of Production) Order of any relevant sugar season as regards the transportation charges shall not apply for the purpose of this para and the sugar factory shall get payment for the full distance between the sugar factory and the nearest railhead.

2. Handling and marketing charges shall be restricted to Rs.12.50 per tonne for each operation of loading or unloading required to be undertaken for the exports.

Note . - The amount shall be restricted to rupees 1350 or rupees 1450 per tonne of sugar exported, if the claimant factory is located in a Coastal State or non-Coastal State, as the case may be.

Form IX
[See rule 20A (9)]

APPLICATION FORM FOR DEFRAYING EXPENDITURE ON INTERNAL TRANSPORT AND FREIGHT CHARGES INCLUDING OCEAN FREIGHT AND HANDLING AND MARKETING CHARGES ON EXPORT SHIPMENT OF SUGAR.

(To be furnished in duplicate)

1. Details of manufacturer:-

(a) Name :-

Short Plant Name :-

(b) Plant code number :-

(c) Complete address :-

(d) Telephone(s) number, Fax number and e. mail :-

2. Name and address of exporter:-

3. Month for which the claims are made:-

4. Details of export shipment of sugar:-

(a) Quantity exported (in tonne):-

(b) Is the export under advance Licence:-

(c) Country to which exported:-

5. Date of issue of last bank certificate of export and realization for the exports made during the month.

6. Amount of Claim (in Rs.) :-

7. Cane price arrears (for sugar season for which export assistance announced and subsequent season) :-

8. Type of Claim (Tick the type applicable):-

(a) Type I : Domestically manufactured sugar exported, involving movement by sea/ocean.

(b) Type II : Domestically manufactured sugar exported, without involving movement by sea/ocean.

(c) Type III : Export of refined sugar, manufactured from raw sugar of another factory involving movement by sea/ocean.

(d) Type IV : Exports of refined sugar, manufactured from raw sugar of another factory without involving movement by sea/ocean.

9. Details of documents enclosed:-

- | | |
|--|-----------|
| (i) Copies of all the applications (certified by central excise authorities) for removal of excisable goods [Form - ARE - I or ARE - 2 and ARE - 3 (in case of export of refined sugar made by the refinery from raw sugar procured from another factory)] related to exports made in the month mentioned at (3) above. | Yes/No . |
| (ii) In case of export of refined sugar made by the sugar refinery from raw sugar procured from another factory, copy of agreement between the raw sugar manufacturer and the sugar refinery, authenticated by the claimant sugar mill. | Yes/No/NA |
| (iii) Certificate of "admittance of proof " of exports indicating actual quantity exported issued by central excise authorities and copies certified by the central excise authorities. | Yes/No |
| (iv) Copies of all bank certificate of export and realization for the month mentioned at (3) above, duly certified in original by the issuing bank, clearly indicating the date of issue of bank certificate of export and realization. | Yes/No |
| (v) Pre-receipted bill in the prescribed proforma as at Annexure - 1. | Yes/No |
| (vi) Reconciliation statement of ARE wise quantity dispatched/exported, date of export and details of bank certificate of export and realization for the exports made during the month, as per proforma at Annexure - 2. | Yes/No |
| (vii) Copies of utilisation certificates, which are due in the proforma at Annexure - 3. | Yes/No/NA |
| (viii) Affidavit in non-judicial stamp paper of Rs. 50/- (in the proforma at Annexure - 4) that the exports are not under advance license | Yes/No/NA |
| (ix) Details of distance and freight in case of exports of sugar to neighbouring countries, not involving movement by sea/ocean in the proforma at Annexure - 5. | Yes/No/NA |
| (x) Distance certificates for road and or rail issued by the office of collector or deputy commissioner and office of railway goods clerk respectively in the cases where the exports have not been made through sea or ocean. | Yes/No/NA |

Place:-

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)

Date :-

(Please indicate the name and affix the seal)

Annexure - 1

PRE-RECEIPTED BILL FOR INTERNAL TRANSPORT AND FREIGHT CHARGES INCLUDING OCEAN FREIGHT AND HANDLING AND MARKETING CHARGES ON EXPORT SHIPMENT OF SUGAR.

(To be furnished in duplicate)

Name and address of the factory:-

Received a sum of Rs. _____ (Rupees _____
_____ only)

from the Department of Food and Public Distribution.

DECLARATION:-

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against the claim for internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges on export shipment of sugar made during the month of _____.
3. I hereby certify that sugar factory did not receive internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges on export shipment of sugar made during the month of _____ from the Central Government prior to submission of this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me alongwith interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time.
5. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if the amount which was received for payment of cane price dues have not been utilized for the same or if the provision of these rules are not adhered to.
6. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar factory.

Place :- (Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)
Date:- (Please indicate the name and affix seal & revenue stamp)

Annexure – 2

Reconciliation statement of application for removal of excisable goods (AREs) wise quantity dispatched/exported and details of bank certificate of export and realization for the exports made in the calender month under consideration.

Month of exports:- _____

Qty exported:- _____ tonne

ARE			Export date	Bank certificate of export and realization No. & date	Issue date of bank certificate of export and realization	Remarks
No.	Date	Quantity (in tonne) dispatched /exported				
Total						

Place :-

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)

Date:-

(Please indicate the name and affix seal)

Annexure - 3

Certificate of utilization of amount paid on account of internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges on export shipment of sugar towards clearance of cane price dues of sugar season

This is to certify that the sugar factory has received internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges amounting to Rs. and utilized it for payment of cane price arrears of Rs. within one month of the receipt from the Government.

Or

This is to certify that the sugar factory has received internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges amounting to Rs. and out of which Rs. has been utilized for payment of cane price arrears within one month of the receipt from the Government and the remaining amount of Rs., which was in excess of the cane price arrears against the sugar mill has been utilized for other purposes.

Or

This is to certify that the sugar factory had no cane price arrears on the date of receipt of the payment against internal transport and freight charges including ocean freight and handling and marketing charges amounting to Rs.

Name and designation of authorized
signatory of the sugar factory
(Affix official seal)

Date: _____
Place: _____

Signature :-
Name :-
Designation:-
(Affix official seal)

Date: _____
Place: _____

(To be signed by the District Cane Officer or a Gazetted Officer of the State Government who is responsible for enforcement and supervision of payment of price of sugarcane by the sugar undertaking)

Annexure - 4

Affidavit

I, _____, Chairman/Managing
Director/General Manager of M/s. _____

_____ do hereby solemnly affirm and
certify that _____ quantity of sugar exported during the month of
_____ pertaining to the following application made for removal of
excisable goods (AREs) have not been exported under "Advance Licence Scheme".

ARE Nos. and dates

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Place :- (Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)
Date:- (Please indicate the name and affix seal)

NOTARY

Annexure-5

Details of distance and freight in case of exports of sugar to neighbouring countries by rail or road or by both, not involving movement by sea/ocean. (Not applicable if movement includes by sea/ocean):-

Sl. No.	Quantity Exported (in tonne)	Destination country of export	From	To	Mode (By sea or road)	Distance	Rate	Admissible amount (in rupees)	Remarks
1.									
2.									
3.									
Total									

Place :-
Date:-

(Name and designation of authorized signatory of the sugar factory)
(Please indicate the name and affix seal)